F0RM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

पूरणमल बनाम नेमीचन्द वगै0

किस्म मुकदमा– दावा अ.धा. 88,188. आर.टी.एक्ट मुकदमा नम्बर– 133 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11.08.2023	वादी की ओर से श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकले साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे / स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 31.08.2023 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	2407-10 11-8-23
25.08.23	वकील वादी ने प्रार्थना पत्र मिशल तलबी का पेश किया। वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील वादी प्रार्थना पत्र मिशल तलबी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र मिशल तलबी को न्यायहित में स्वीकार होने पर पत्रावली पूर्व नियत पेशी तारीख 31.08.2023 से तलब होकर आज पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 6 की ओर से श्री कानाराम पुनियां एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने पर वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा कर दावा बाबत् उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज किये जाने वकील वादी ने निवेदन किया। जिस पर वकील वादी ने सहमति व्यक्त करते हुए आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। प्रार्थना पत्र पर वकील [illegible] उभय पक्षकारान को सुना गया। अतः प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार कर दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर जरिये विड्रा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। दिलीप सिंह (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	वादी पूरणमल प्रतिवादी नेमीचन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:57:57 IST
Reason: SelfAttested